निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

पत्रांक /172001/वार्षिक स्था0 2025–26/नि0को0पें0ह0/2025 दि0 मई, 2025

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तरखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–01, वर्ष 2018) में किये गये प्राविधानानुसार जनपदीय कोषागारों/स्वतंत्र कोषागारों/उपकोषागारों में उपकोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी (रोकड़) के पदों पर तैनात कार्मिकों से प्राप्त विकल्पों को जनपदवार संकलित कर विभागीय वेबसाईट पर विवरण प्रदर्शित किया जा रहा है।

अतः उपकोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी (रोकड़) के पदों पर तैनात प्रत्येक कार्मिक अपने–अपने विकल्पों का मिलान कर लें। यदि उनके विवरण में किसी भी प्रकार भिन्नता आ रही हो, तो दिनांक 24.05.2025 से पूर्व प्रत्येक दशा में ई–मेल के माध्यम से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। यदि इसके उपरान्त किसी भी कार्मिक हेतु संशोधन का अनुरोध किया जाता है तो उसे किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by DINESH CHANDRA LOHANI
Date: 20-05-2025 11:58:02

(दिनेश चन्द्र लोहनी)
निदेशक।

<u>संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. - समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. - समस्त उपकोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी (रोकड़), उत्तराखण्ड।
3. विभागीय पोर्टल में अपलोड करने हेतु।

(दिनेश चन्द्र लोहनी)

निदेशक।